राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

प.14(8)वित्त/नियम/2013 पार्ट–II **जयपुर, दिनांक :** 28 JUL 2017

<u>आज्ञा</u>

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 की अनुसूची–V में विचाराधीन संशोधन के क्रम में ग्रेड पे रू. 1750/–, रू. 1900/–, रू. 2000/–, रू. 2400/–, रू. 2800/– एवं रू. 4800/– में सीधी भर्ती से नियुक्त जिन कर्मचारियों का दिनांक 01.07.2013 या इसके पश्चात प्रारम्भिक वेतन दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी अनुसूची–V के अनुसार निर्धारित किया गया है उन कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2017 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेशों तक स्थगित रखते हुये माह जुलाई, 2017 का वेतन भुगतान किया जावेंगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त ग्रेड पे के कतिपय कर्मचारियों को यदि दिनांक 01.07.2017 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है तो उनकी स्वीकृत वार्षिक वेतन वृद्धि को स्थगित करते हुए वेतन बिल संशोधित कर माह जुलाई,2017 के वेतन का भुगतान किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

28/07/2017

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त

(RP – 2008/ 9 /2017)